

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727] No. 727] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 2016/आश्विन 27, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2016/ASVINA 27, 1938

गृह मंत्रालय

(अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2016

विषय:- अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन ।

सा.का.नि. 987(अ).——इस सचिवालय की अधिसूचना सं. 7/1/2014—अ.रा.प.(पार्ट), दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 के अधिक्रमण में, अंतर्राज्य परिषद् आदेश, 1990 के खंड 2 के अनुसार प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्य परिषद् की निम्नलिखित संरचना अनुमोदित की है :—

अध्यक्ष

श्री नरेन्द्र मोदी – प्रधानमंत्री

सदस्य

(i) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री

(ii) विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक ।

(iii) छ: केंद्रीय मंत्री

(क) श्री राजनाथ सिंह - गृह मंत्री

(ख) श्रीमती सुषमा स्वराज – विदेश मंत्री

(ग) श्री अरूण जेटली – वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

(घ) श्री एम. वेंकैया नायडू – शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी

उपशमन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री

(इ) श्री नितिन जयराम गडकरी – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा

पोत परिवहन मंत्री

(च) श्री मनोहर पर्रिकर - रक्षा मंत्री

4879 GI/2016 (1)

केंद्रीय मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्थायी आमंत्रित सदस्य :

(क) श्री सुरेश प्रभु — रेल मंत्री

(ख) श्री राम विलास पासवान — उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

(ग) श्री रिव शंकर प्रसाद – विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(घ) श्रीमती हरसिमरत कौर बादल – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

(ड़) श्री जुएल ओरम – जनजातीय कार्य मंत्री

(च) श्री थावर चंद गहलोत — सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(छ) श्री प्रकाश जावडेकर – मानव संसाधन विकास मंत्री

(ज) श्री धर्मेन्द्र प्रधान – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(झ) श्री पीयूष गोयल – ऊर्जा, कोयला, खान और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री

(स्वतंत्र प्रभार)

अीमती निर्मला सीतारमन — वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

[सं. ७/१/२०१४—अ.रा.प.(पार्ट)]

नैनी जयशीलन, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2016

Subject: Reconstitution of Inter-State Council

G.S.R. 987(E).—In supersession of the Secretariat's Notification No. 7/1/2014-ISC(Pt.) dated 7th December, 2015, the Prime Minister has approved the following composition of the Inter-State Council in terms of Clause 2 of the Inter-State Council Order, 1990:-

Chairman

Shri Narendra Modi - Prime Minister

Members

- (i) Chief Ministers of all States.
- (ii) Chief Ministers of Union Territories having a Legislative Assembly and Administrators of Union Territories not having Legislative Assembly.

(iii) Six Union Ministers

(a) Shri Rajnath Singh -- Minister of Home Affairs
(b) Smt. Sushma Swaraj -- Minister of External Affairs

(c) Shri Arun Jaitley -- Minister of Finance and Corporate Affairs

(d) Shri M. Venkaiah Naidu - Minister of Urban Development, Housing & Urban Poverty Alleviation and Information & Broadcasting

(e) Shri Nitin Jairam Gadkari - Minister of Road Transport & Highways and Shipping

(f) Shri Manohar Parrikar - Minister of Defence

Union Cabinet Ministers/Minister of State (Independent Charge) as Permanent Invitees:

(a) Shri Suresh Prabhu - Minister of Railways

(b) Shri Ramvilas Paswan - Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

(c) Shri Ravi Shankar Prasad - Minister of Law & Justice; and Electronics & Information Technology

(d) Smt. Harsimrat Kaur Badal - Minister of Food Processing Industries

(e) Shri Jual Oram - Minister of Tribal Affairs

(f) Shri Thaawar Chand Gehlot - Minister of Social Justice and Empowerment

(g) Shri Prakash Javadekar- - Minister of Human Resource Development

(h) Shri Dharmendra Pradhan - Minister of State (IC) for Petroleum and Natural Gas

(i) Shri Piyush Goyal - Minister of State (IC) for Power, Coal, Mines and New & Renewable

Energy

(j) Smt. Nirmala Sitharaman - Minister of State (IC) for Commerce and Industry

[No. 7/1/2014-ISC(Pt.)]

NAINI JAYASEELAN, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2016

विषय:- अंतर्राज्य परिषद् की स्थायी समिति का पुनर्गठन ।

सा.का.नि. 988(अ).——इस सचिवालय की अधिसूचना सं. 7/1/2014—अ.रा.प.(पार्ट), दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 के अधिक्रमण में, अंतर्राज्य परिषद की स्थायी समिति की संरचना प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलेखित रूप में अनुमोदित की गई है :—

अध्यक्ष

श्री राजनाथ सिंह - गृह मंत्री

सदस्य

(i) श्रीमती सुषमा स्वराज — विदेश मंत्री

(ii) श्री अरूण जेटली — वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

(iii) श्री एम. वेंकैया नायडू – शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री

(iv) श्री नितिन जयराम गडकरी — सडक परिवहन एवं राजमार्ग पोत परिवहन मंत्री

(v) मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश

(vi) मुख्यमंत्री, पंजाब

(vii) मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

(viii) मुख्यमंत्री, त्रिपुरा

(ix) मुख्यमंत्री, ओडिशा

(x) मुख्यमंत्री, राजस्थान

(xi) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

- 2. स्थायी समिति :-
 - (i) परिषद् के विचारार्थ मामलों पर नियमित परामर्श एवं कार्रवाई करेगी ;
 - (ii) अंतर्राज्य परिषद में विचार से पूर्व केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े सभी मामलों पर कार्रवाई करेगी ;
 - (iii) परिषद् की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी ; और
 - (iv) अध्यक्ष / परिषद् द्वारा उठाए गए किसी अन्य मामले पर विचार करेगी ।
- 3. स्थायी समिति, यदि आवश्यक समझे तो, संबंधित विषयों पर विचार—विमर्श के दौरान क्षेत्र विशेष के प्रमुख व्यक्तियों और विशेषज्ञों के विचारों से लाभान्वित होने के लिए उन्हें आमंत्रित कर सकती है ।

[सं. ७/1/२०१४—अ.रा.प.(पार्ट)]

नैनी जयशीलन, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2016

Subject: - Reconstitution of the Standing Committee of the Inter-State Council.

G.S.R. 988(E).—In supersession of the Secretariat's Notification No. 7/1/2014-ISC(Pt.) dated 7th December, 2015 the Prime Minister has approved the following composition of the Standing Committee of the Inter-State Council:

Chairman

Shri Rajnath Singh - Minister of Home Affairs

Members

(i) Smt. Sushma Swaraj - Minister of External Affairs

(ii) Shri Arun Jaitley Minister of Finance and Corporate Affairs

(iii) Shri M. Venkaiah Naidu - Minister of Urban Development, Housing & Urban Poverty

Alleviation and Information & Broadcasting

(iv) Shri Nitin Jairam Gadkari - Minister of Road Transport & Highways and Shipping

(v) Chief Minister, Andhra Pradesh

(vi) Chief Minister, Punjab

(vii) Chief Minister, Chhattisgarh

(viii) Chief Minister, Tripura

(ix) Chief Minister, Odisha

(x) Chief Minister, Rajasthan

(xi) Chief Minister, Uttar Pradesh

2. The Standing Committee will:-

(i) have continuous consultation and process matters for consideration of the Council;

(ii) process all matters pertaining to Centre-State Relations before they are taken up for consideration in the Inter-State Council;

(iii) monitor the implementation of decisions taken on the recommendations of the Council; and

(iv) consider any other matter referred to it by the Chairman / Council.

3. The Standing Committee may, if necessary, invite experts and persons eminent in specific fields to have the benefit of their views while deliberating upon the related subjects.

[No. 7/1/2014-ISC(Pt.)]

NAINI JAYASEELAN, Secy.